तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.7.21	उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से [illegible] है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17.8.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	..
17.8.21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण 1 लगायत 10, के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। वकील प्रार्थीगण विपक्षी सं० 11 व 12 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का चांदरास द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	વિપક્ષી 11, 12 કે વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી નહી ચાહતે હૈ

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 30/21 प्रा०पत्र

1– कचनी D/o सूरजमल गुर्जर निवासी सोजीकाखेड़ा त० माण्डल (भील०)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री ईश्वर S/o जागु गुर्जर निवासी- मंगलपुरा तहसील- माण्डल (भील०)
(प्रस्तावित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 17.08.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......गोविन्दपुरा......पटवार हल्का......चादरास......तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न......614......कुल किता......01......रकबा......~~बीघा~~......0.1770 हैक्टेयर......~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......17.02.21......को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......गोविन्दपुरा......पटवार हल्का......चादरास......तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न......614......कुल किता......01......रकबा......0.1770 हैक्टेयर......बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये [illegible] चादरास को......400/-......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया [illegible] कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर [illegible] की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार [illegible] खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा